

	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी) केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला - श्रीगंगानगर (राज.) दूरभाष : 01498-261202, 261227	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking) (CIN : U74899DL1963PLC003913) Central State Farm, Jetsar Website: www.indiaseeds.com PHONES : 01498-261202, 261227 E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com
---	---	---

के.रा.फा./जैत./एस.पी.ओ./2026-27/

दिनांक: 02.06.2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला श्रीगंगानगर (राज0) पर रबी 2025-26, जायद 2026 एवं खरीफ 2026 में उत्पादित राँ बीजों का विधायन विधायन संयंत्र संख्या 200 एवं 225 खंड 2 पर अनुमानित 50000 क्विंटल राँ बीजों के विधायन, पैकिंग एवं पल्लेदारी कार्यों हेतु अनुभवी ठेकेदारों को नियुक्त करने हेतु दो बिड सिस्टम आधार पर ई-निविदा दिनांक 09.06.2026 को 11 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 09.06.2026 को 11:30 बजे खोली जायेगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं नियम-शर्तें हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com, पर देखी जा सकती है। निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर निविदाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

फार्म प्रमुख

Particulars	Details
Date of issue of NIT	03.05.2026
Tender Document Download Start Date/time	03.05.2026
Tender Document Download End Date/time	09.06.2026 11:00 AM
Date and time of opening of Technical Bid in Online mode at NSC, HQ.	09.06.2026 11:30 AM
Tender Fee (To be deposited online)	Rs 590.00 (Five Hundred Ninety Only)
EMD (To be deposited online)	Rs 50000.00 (One lakh twenty Thousand Only)
Address for Communication	Head of Farm, National Seeds Corporation Ltd., Central State Farm, Jetsar (Raj.)
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Sh. Binder Singh , SPO, Mob:-9799988515 E-mail ID csf.jetsar@indiaseeds.com

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown “form received”. This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

वर्ष 2026-27 में विधायन संयंत्र सं० 200, 225 पर रबी 2025-26, जायद 2026 तथा खरीफ 2026 में उत्पादित राँ बीजों के विधायन, पैकिंग तथा पल्लेदारी कार्य का ठेका व कार्य संचालन के लिए नियम व शर्तें—

- विधायन/पैकिंग कार्य में सम्मिलित सभी कार्य की दरें क्रमशः राँबीज/पैक बीज पर ही देय होगी।
- ई-निविदाप्रपत्र शुल्क रुपये 500.00+18% GST= 590.00 रुपये व ई-निविदा की धरोहर राशि (EMD) रुपये 50,000 प्रति प्लांट खंड दो जो ऑनलाइन अथवा RTGS / NEFT के माध्यम से नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैतसर के नाम से SBI बाजूवाला के खाता संख्या 41532435884 (IFSC Code- SBIN0008251)में जमा करानी होगी। यदि कोई MSME या कोई दूसरी पार्टी होगी उसे EMD में छूट होगी यदि EMD जमा राशि को सफल निविदाता के प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान निविदादाता को करना होगा जिसमें पार्टी को धनराशि जमा कराने का UTR No/Date ई-निविदा में अंकित करना होगा।
- सफल निविदादाता को रुपये 50,000 प्रति प्लांट खंड दो प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की ई- निविदा में जमा धरोहर राशि (यदि जमा है तो), प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित हो जायेगी। उक्त प्रतिभूति राशि डीडी\एन.ई.एफ.टी\आर.टी.जी.एस\बी.जी(बैंक गारंटी) द्वारा जमा करना होगी (जो एक अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो) जोकि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम से देय हो जमा करवाना होगा। बैंक गारंटी कार्य आदे 1 जारी होने से कम से कम 18 माह आगे तक मान्य होनी चाहिये। जिसे आव यकता पडने पर आगे बढ़वाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक ढंग से पुरा होने पर सुरक्षा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- असफल निविदादाताओं की EMD एक निश्चित अवधि में पार्टी के लिखित अनुरोध पर RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी। L-1 पार्टी / सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से नाम वापस लिये जाने की स्थिति में पार्टी की अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी। ठेके के संतोषप्रद समाप्ति उपरान्त सफल निविदादाता की EMD/Security money बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी।
- कार्य की दरो के लिए नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा फिर भी किसी परिस्थिति वश नेगोशियेशन करना पड़ा तो सिर्फ L-1 निविदादाता से की जायेगी।
- ठेकेदार को ठेका मिलने के बाद 15 दिन के अंदर रुपये 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर फार्म प्रमुख महोदय, एन.एस.सी. केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राजस्थान) से अनुबन्ध करना होगा।
- बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिंग का कार्य रबी 2025-26, जायद 2026 तथा खरीफ 2026 में उत्पादित सम्पूर्ण उत्पाद के लिए है। अतः सम्पूर्ण कार्य समय पर करके देना अनिवार्य है।
- प्रत्येक कार्य की दर टैक्स सहित देनी होगी TDS एवं अन्य कर की कटौती नियमानुसार बिल में से की जायेगी। यदि कोई अन्य टैक्स देय बनता है तो ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा।
- लेबर शॉप लाइसेंस / लेबर लाइसेंस (केन्द्रीय/राजस्थान सरकार) देना अनिवार्य है।
- टेण्डर भरते समय श्रमिक ठेकेदार को अनुभव प्रमाण-पत्र, ई.एस.आई, कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेनकार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा।
- ठेकेदार के अगले बिल का भुगतान, पिछले महीनों में ESI, EPF की कटौती व जमा करने के चालान की प्रति व मजदूरों को भुगतान करने का विवरण प्रस्तुत करने उपरान्त ही संभव होगा।
- निविदादाता को सम्बन्धित कार्य में विगत 5 वर्षों में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र निविदा में देना होगा।

13. ठेकेदार या उसकी फर्म का विगत 5 वर्षों में कम से कम एक वर्ष में न्यूनतम रूपये 20 लाख का वार्षिक टर्न ओवर होना अनिवार्य है तथा फर्म को टर्न ओवर का प्रमाण पत्र देना होगा।
14. निविदादाता द्वारा सभी कार्यों की दरें केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार देनी होगी।
15. निविदादाता किसी भी संस्था द्वारा निविदा के समय कालीसूची में न डाला गया हो। इसके सन्दर्भ में निविदादाता को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर - ब्लैक लिस्टिंग प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
16. यदि किसी किस्म में अन्य बीजों का मिश्रण है तो उस बीज लॉट की चुगाई का कार्य भी ठेकेदार के मजदूरों द्वारा किया जायेगा जिसका अलग से भुगतान किया जायेगा।
17. बीज की किस्म बदलने से पूर्व मशीन की जाली बदलवाने में सहयोग करना एवं आस-पास व गोदाम के अन्दर से प्रत्येक बीज (दाना) पूर्ण रूप से साफ करवाना होगा, जिसका कोई भी भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
18. बीज विधायन केन्द्र के बाहर ब्लोअर से निकले कचरे को साथ-साथ हटाकर, टूटा हुआ दाना बोरियों में भरकर ग्रेड बना कर सीलकर दूसरे गोदाम में रखना होगा, जिसका भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
19. पैकिंग के कार्य के दौरान टैग प्रिंटर से निकले टैग को फाड़ना एवं बाहरी पैकिंग पर टैग की क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है।
20. सभी फसलों का विधायन लॉट-वार होगा एवं लॉट-वार ही अबीज छानन (UNDERSIZE) की तुलाई की जायेगी।
21. ठेका मंजूर होने पर ठेकेदार को फार्म द्वारा दिये गये समय के अन्दर कार्य शुरू करना होगा।
22. अगर ठेके का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त कर कार्यवाही भी की जा सकती है।
23. खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर 25-25 के बण्डल बना कर गोदाम में कार्य के साथ-साथ रखना होगा।
24. संसाधन व पैकिंग मैटेरियल ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लांट पर लाना होगा तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरू करना होगा।
25. टेण्डर में दिये गये सभी कार्यों की दरें देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नहीं होने पर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा एवं उस कार्य का भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा।
26. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
27. मजदूरों की कमी के कारण यदि किसी भी कार्य को फार्म के मजदूरों से करवाना पड़ा या किसी अन्य ठेकेदार से ज्यादा दर पर करवाना पड़ा तो उसका पैसा भी ठेकेदार को देना होगा। यह पैसा ठेकेदार के बकाया बिल या धरोहर राशि से काट लिया जायेगा।
28. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
29. काम के समय दिन या रात को ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों, कट्टों या थैलियों को सोने के लिये बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे।
30. ठेकेदार/अधिकृत प्रतिनिधि को काम के समय कार्यस्थल पर हमेशा मौजूद रहना होगा।
31. किसी कारण वश: भुगतान मिलने में देरी होती है, तो ऐसे हालात में ठेकेदार को कार्य जारी रखना होगा।
32. बीज व अण्डरसाईज की तुलाई सही व निश्चितमात्रा के अनुसार होनी चाहिये अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तोलकर चैक किया जा सकता है और अगर तोल सही न मिली तो पूरा का पूरा लॉट दूबारा बिना भुगतान के तौलना होगा। साथ ही मानक के अनुसार पुनः पैकिंग करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
33. कम से कम दस टांकों के साथ मजबूती से सूतली से बीज एवं अबीज की बोरियों को सही ढंग से सिलना होगा व बीज को फैलने व बिखरने से बचाना होगा।
34. ट्राली व ट्रक में बीज व अबीज को भरते व खाली करते समय बीज को बिखरने से बचाना होगा। और प्रोसेसिंग के दौरान ट्राली से बीज निकालने के बाद ट्राली को साफ करने का कार्य ठेकेदार का होगा जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
35. तिरपाल, कैरेट, पैकिंग का सामान गोदाम से ठेकेदार को अपने ही मजदूरों से मंगवाना होगा।
36. बाल व श्रम अधिनियमानुसार छोटे बच्चों व शराबी मजदूरों को प्लांट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
37. प्लांट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक, हैल्पर या अन्य फार्म के कर्मचारी/अधिकारी व फार्म पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करके अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

38. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों का पहचान पत्र/आधार कार्ड अपने पास जमा रखना होगा एवं रोजाना हाजिरी लगाकर रिकॉर्ड बनाना होगा। जिसकी जांच फार्म द्वारा कभी भी की जा सकती है।
39. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
40. ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे ठेकेदार के नाम स्थानांतरण नहीं कर सकता है।
41. सफल निविदादाता को फार्म पर कार्य करवाने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के सन्दर्भ में फार्म प्रमुख को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसकी फार्म प्रमुख द्वारा स्वीकृतिप्राप्त ही प्रतिनिधि की नियुक्ति मानी जायेगी
42. ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट या गोदाम में बीड़ी, शराब, सिगरेट नहीं पीयेंगे तथा ज्वलनशील पदार्थ बीज विधायन संयंत्र व बीज गोदाम के अन्दर नहीं लायेंगे।
43. प्रतिदिन काम की समाप्ति पर गोदाम या प्लान्ट के शटर बन्द करने होंगे।
44. माल उतारते व लादते समय कटे व खुले कट्टे, बोरियों को ठेकेदार अपने मजदूरों से दुबारा सीलकर के लादना होगा।
45. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हुक के प्रयोग से बोरियों, कट्टों व थैलियों के फटने तथा चट्टे के ऊपर से बोरी गिर जाने के कारण फट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काट कर की जायेगी।
46. ठेकेदार को कार्य पर लगे मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान हर हालत में करना होगा। किसी भी शिकायत का जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
47. विधायन संयंत्रों पर प्रतिदिन कम से कम 500—600 किं. राँ बीज की ग्रेडिंग करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
48. ठेकेदार को यदि किसी पास सीड लोट की पुनः विधायन करने के लिए कहा जाये तो उसे फार्म द्वारा तय रेट के अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा.
49. ठेकेदार यह सुनिश्चित करे की ट्रांसपोर्टेशन एवं ट्रक में बीज लोड के समय भी प्रोसेसिंग एवं पैकिंग के लिए मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे.
50. विधायन कार्य के लिए प्रत्येक पारी में पर्याप्त मजदूर हमेशा उपलब्ध रहे ताकि विधायन कार्य गुणवत्ता के साथ किया जा सके.
51. प्लान्ट पर कार्य के दौरान मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है ता उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
52. प्रमाणीकरण संस्था के फसलवार समयावधि के अन्दर ही विधायन एवं पैकिंग का कार्य पूर्ण करना होगा
53. विधायन/पैकिंग का कोई भी कार्य बिना शिफ्ट इंचार्ज अथवा विधायन प्रभारी के संज्ञान में लाये बिना यदि किया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।
54. ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने पहन कर ही कार्य करवाने होंगे। दवा की पुड़िया बनाते एवं बीज का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं बीमार मजदूरों को काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इंचार्ज द्वारा बताये निर्देशों का पालन करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
55. ठेकेदार/प्रतिनिधि को मजदूरों का नाम व पता कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित में रखना होगा जिसकी जांच फार्म द्वारा की जा सकती है।
56. बीज की क्वालिटी संतोषजनक हो उसी के आधार पर फीडिंग करवाना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः फीडिंग करवाना होगा।
57. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य करवाना होगा और समय पर पूरा करवाना होगा
58. श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट की मशीनों तथा बिजली के स्विच आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। मशीनों को नहीं चलायेगा।
59. विधायन संयंत्र को चालू करने से पूर्व संयंत्र परिसर में अच्छी तरह से सफाई करानी होगी।
60. बैगक्लोजर एवं भारमापक यंत्र श्रमिक ठेकेदार को काम चालु करने पर सही हालत में सौंप दिये जायेंगे तथा काम पूर्ण होने पर सही हालत में लिये जायेंगे।

61. फार्म की आवश्यकता को देखते हुए यदि पैकिंग साइज में बदलाव होता है तो उस बदलाव के अनुसार कार्य करना होगा जिसकी दर दोनों पक्षों के आपसी सामंजस्य से निर्धारित की जायेगी ।
62. बीजो की पैकिंग के समय सभी थैलियों व बैगों में उचित मात्रा में दवा डालना एवं सील लगाना होगा । यदि दवाई न डालने एवं सील न लगाने की शिकायत प्राप्त होती है या आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी ।
63. पुनः वैधीकरण कराए गए बीज थैलियों एवं कट्टों के टैग एवं बैग पर मोहर न लगाने की दशा में होने वाले नुकसान की भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी ।
64. विधायन एवं पैकिंग के समय थैलियों, बैगों एवं बोरेजों में वजन उचित मात्रा में भरा जाए । शिकायत प्राप्त होने या आर्थिक नुकसान होने पर पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा एवं किसी भी प्रकार की भरपाई का ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
65. टेण्डर अवधि के दौरान दिये गये समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने अथवा देरी से करने पर यदि उस कार्य के देरी से होने पर नुकसान हुआ तो उस कार्य का 5 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।
66. किसी भी निविदादाता द्वारा फार्म में रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दंडनीय अपराध होगा ।
67. टेण्डर में दी गई नियम एवं शर्तों के अलावा कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
68. प्रत्येक कार्य सम्बन्धित L₁ पार्टी को आवंटित किया जायेगा । हालांकि सुविधा के लिए वह पार्टी जो अधिकांश कार्यों हेतु L₁ है, उसे अन्य कुछ कार्य (जिसमें वह L₁ नहीं है) भी आवंटित किया जा सकता है इसके अलावा L₁ पार्टी के निर्धारण में फार्म द्वारा विगत वर्ष में कराये गये प्रमुख कार्यों के आधार पर होने वाले कुल अनुमानित लागत पर भी विचार किया जा सकता है ।
69. टेण्डर में दिये गये नियम एवं शर्तें श्रमिक ठेकेदार को मान्य होगी । श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य करने में देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी EMD/Security राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
70. फार्म के फार्म प्रमुख महोदय द्वारा एक कर्मचारी को मनोनीत करने का अधिकार होगा जो कि श्रमिक ठेकेदार द्वारा बनाये गये रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान करने की राशि की जाँच करेगा । यदि जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है और फार्म में जमा की गई EMD/Security राशि से त्रुटि की भरपाई की जायेगी । सुरक्षा के लिहाज से भी गेट पर अलग रजिस्टर होना आवश्यक है जिसमें श्रमिकों का आना एवं जाना अंकित हो ।
71. निविदादाता द्वारा निविदा डालने के बाद किसी भी दशा में निविदा वापिस नहीं ले सकता है अथवा निविदा के तहत कार्य नहीं करने पर EMD/Security राशि जप्त कर ली जावेगी ।
72. सफल निविदा दाता को प्रत्येक 15 दिन अथवा प्रतिमाह का बिल निर्धारित प्रारूप में उस अवधि में कराये गये कार्यों के स्पष्ट विवरण के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच के उपरान्त नियमानुसार भुगतान किया जाएगा ।
73. आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित ठेकेदार को आवश्यक श्रमिक दूरभाष पर सूचना मिलने पर भी उपलब्ध कराने होंगे ।
74. आवश्यकता पड़ने पर टेण्डर की अवधि दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आगे बढ़ाई जा सकती है ।
75. आवश्यकतानुसार प्रोसेसिंग का कार्य 3 शिफ्टों में चलाया जा सकता है जिसके लिए मजदूरों का प्रबन्ध फार्म द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को करना होगा । अगर नियुक्त श्रमिक ठेकेदार द्वारा समुचित मजदूरों का बन्दोबस्त नहीं हुआ या कार्य समय पर नहीं होता या कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है तो यह कार्य निविदा दर की लागत व जोखिम दर पर दूसरे ठेकेदार से कराने के लिये फार्म प्रबंधन स्वतंत्र होगा ।
76. अगर ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है अथवा देरी से किया जा रहा है तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निगम किसी भी कार्य को सुविधानुसार PRW अथवा बाहर से लेबर लगा कर सम्पादित कर सकता है । जिसके लिए ठेकेदार दावा नहीं कर सकता है । यदि कार्य ठेकेदार द्वारा दी गयी दरों से अधिक में होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल अथवा सुरक्षा राशि से कर ली जाएगी ।

77. विधायन सयंत्र 200 व विधायन सयंत्र 225 (खंड -द्वितीय) दोनों बीज विधायन सयन्त्रों में से केवल एक ही में भाग ले सकता है। एक ठेकेदार दोनों बीज विधायन सयन्त्रों के लिए निविदा नहीं दे पायेगा।

78. इस समझौते के किसी भी प्रावधान में कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति देकर स्वीकार न किया गया हो। यदि किसी भी विषय या शर्त के कारण NSC और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो उसे समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत सुलझाया जाएगा। इस प्रावधान के अंतर्गत नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक दोनों पक्षों की सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे जो विवाद का समाधान करेगा और दोनों पक्ष उस निर्णय का पालन करेंगे। न्यायालय जाने से पहले विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना अनिवार्य होगा। मध्यस्थता नई दिल्ली में की जाएगी और इसकी भाषा अंग्रेजी होगी। दिल्ली के न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। यदि सुलह/मध्यस्थता के बाद भी इस समझौते से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई विवाद बना रहता है तो उसका निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि किसी अवसर पर NSC इस समझौते की किसी भी शर्त का कड़ाई से पालन कराने पर जोर नहीं देता है तो इसे उस शर्त का परित्याग (छूट) नहीं माना जाएगा और न ही इससे NSC भविष्य में उस शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधिकार से वंचित होगा। किसी भी प्रकार का परित्याग लिखित रूप में और संबंधित पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। सभी प्रकार के नुकसान हानि चोट या क्षति से उत्पन्न किसी भी दावे के विरुद्ध NSC को क्षतिपूर्ति देगा तथा उसे सुरक्षित रखेगा जो इस समझौते के किसी भी भाग/शर्त के निष्पादन के कारण या उससे संबंधित रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। बशर्ते कि इस समझौते की धारा 40 में वर्णित अपरिहार्य परिस्थितियां से उत्पन्न परिस्थितियाँ और स्थितियाँ इस धारा के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी।

ध्यान दें:—विधायन के समय उपरोक्त बीज की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार पुनः ग्रेडिंग किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को अलग से कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी निर्देश/नियम एवं शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझलिये हैं। उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

निविदादाता का नाम

निविदादाता का पता व ई-मेलआईडी.....

Annexure “A”

Technical Bid
Tender form (Labour Contractor)

1. Labour Contractor's Name and Address.....
.....
.....
2. Registration no. (Labour Contractor)
- 3- E.P.F.Registration no.
- 4- E.S.I Registration no.
- 5- Incometax PAN No.
- 6- Experience Certificate
- 7- Labour Shop / Labour Licence
- 8-Security DepositUTRNo./Date
- 9- Tender Form fees'sUTRNo. /Date
- 10- Non black listing certificate
- 11- Turn over certificate
- 12- MSME Certificate (if applicable)

Note :-Kindly Attach Aforesaid documents'sPhotocopy

Signature

Name

Address

.....

Phone/Mobile No.....

Annexure-B

**FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER HEAD WITH
REGARD TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION
UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT**

AFFIDAVIT

To,
The Director,
NSC, CSF Jetsar.

We hereby confirm and declare that we, M/S....., have not
been blacklisted /De-registered by any Government department / Public Sector
Undertaking / Private Sector / or any other agency for which we have Executed /
Undertaken the work / Services during the last 5 years.

.

For.....

Authorized Signatory

Date:

BANK GUARANTEE IN LIEU OF SECURITY DEPOSIT

This bank guarantee executed on thisby(hereinafter called the "Bank" which expression shall include wherever permissible, its successors and assigns) in favor of the National Seeds Corporation Ltd., Central State Farm Jetsar (hereinafter called "Corporation" which expression includes its successors and assigns at the request of(herein after called the "Firm/Contractor")

WHEREAS the Firm/Contractor had tendered in respect of Tender No.....issued by the Corporation.

WHEREAS the tender of the Firm/Contractor has been accepted and in consequence thereof the Corporation had placed a LOA/Work Order no :-Dated for **Processing and packing work for the year 2026-27** mentioned in the LOA/Agreement No. dated

AND WHEREAS the Party is required to deposit security with the Corporation to the extent of an amount of Rs. value of the aforesaid order placed by the Corporation on the supplier, for due fulfilment of the same.

AND WHEREAS in consideration of the bank having agreed to furnish a bank guarantee to the Corporation, the Corporation has agreed to waive the necessity of the supplier making a deposit of the security amount and has accepted that in lieu thereof a bank guarantee may be furnished.

AND WHEREAS the bank has agreed to furnish the bank guarantee in lieu of Security Deposit.

NOW THEREFORE the bank hereby agrees and guarantees:

1. If the Firm/Contractor commits any breach of any of the terms and conditions of the contract or of the LOA/Contract agreement and the Corporation declares that

Firm/Contractor has become liable to forfeiture of the security or any part thereof, the bank hereby unconditionally and irrevocably agrees and undertakes and guarantee to pay to the Corporation on demand and without demure the amount of security money stated above without making a reference to the Conversion Agent.

2. The Bank further agrees that the Corporation shall be the sole judge of and as to whether the said Firm/Contractor has committed any breach and breaches of any of the terms and conditions of the contract and the extent of loss, damage costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the Corporation on account thereof but not exceeding the amount of security as stated above and the decision of the Corporation that the said Firm/Contractor has committed such breach shall be final and binding on the bank.

3. The bank understand that it shall not necessary for the Corporation to proceed against the Firm/Contractor before demanding the aforesaid amount of bank guarantee from the bank of preceding against the bank and the guarantee herein contained shall be endorse able against the bank.

4. This guarantee shall remain in full operation up to 18 months from the date of Work order no :-..... Dated valid upto The bank undertakes not to revoke the guarantee during its currency except with the consent of the Corporation in writing and agrees that any change in the constitution of the Firm/Contractor or the bank shall not discharge the liability of the bank hereunder.

5. Notwithstanding anything contained herein before the liability of the bank under this guarantee is restricted to Rs..... /-(Rupeesonly). The guarantee of the bank shall remain into force for the periodand claim period expired on, unless the Corporation makes a claim from the bank in writing before the said period, all the rights of the Corporation under the said guarantee shall be forfeited and the bank shall be relieved and discharged from all liability hereunder.

For and on behalf of the Bank

Witness:

1. -----
2. -----

- Here fill the name of Bank with address.
- Here fill the name and address of the Firm/Contractor
- Here fill the name of the material for which order has been placed.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498–261202,261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

To,
The Farm Head,
National seeds Corporation Limited,
Central State Farm, Jetsar.

Tender Form (Financial Bid)

Rabi 2025-26, Summer-2026 & Kharif-2026

S. No.	Processing Work	Packing Size	Rate offered per Qtls. (In Rs.) inclusive of all taxes for B-2,PP-200	Rate offered per Qtls. (In Rs.) inclusive of all taxes for B-2,PP-225
1	Processing of Seed: - it includes shifting of seed bags from raw seed stacks to feeding site or cast the raw seed bags from stacks to feeding site by loading into truck or trolley/ Pouring of raw seed from feeding site to elevator /after the seed processed by processing machines and filled in gunny bags, a bookram or marka must be tie up on gunny bags and to weigh and sewing of processed seed bags. Stacking of Processed seed at the same site or other site of warehouse by loading into truck or trolley and filling of undersize in gunny bags, after weighing, sewing Stacking of undersize at the same site or other site of warehouse by loading into truck or trolley and covering it with Tarpaulin and also the cleaning of place of seed stacking, processing and transportation means like trolley etc. and again pouring of undersize in processing plant which come out from grader and gravity separator / seed effected with quality reprocessed again.	20–50 Kg		
2	Packing of seeds: – loading of seed into truck or trolley and take it to warehouse or the taking gunny bags of seed from stacks to other place, opening of gunny bags , marking on bag/polybags of different size or wring of seed details on it by marker pen making of Tags and labels with use of rubber stamp filling of seed in bag/polypouch of different packing sizes , weighing, putting of leaflets culture and pesticide in pouches separating the bag/polypouches by matching their tags and labels, sewing of the seed pouches and attachment of seal on it and pressing the seal with plyer putting of small packing bag/polypouches in big gunny bags then sewing of gunny bags and loading into a truck or trolley and after that their transportation to warehouse and stacked them at same site or other site of warehouse as well as cleaning of the site of packing and after completion of packing filling of seed sweepage in gunny bags to said site.	0-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–05 Kg 06–10 Kg 11–20 Kg 21–40 Kg		

3	<u>Advance Packing of seeds :-</u> after grading of raw seed simultaneous packing of graded seed as per requirement in which all work related to Sr.No. 1 & 2.	20–40 kg		
4	<u>Regrading of fail lot:-</u> including all the work previously mentioned in S. no. 01 and 02	20–50 Kg		
5	<u>Processing of Groundnut by machine and manual</u> including all the work previously mentioned in S. no. 01	20–50 Kg		
6	<u>Revalidation Work :-</u> it includes taking out all small packing of bag/polypouches from gunny bags and applying of revalidation stamps on every bag/pouch and after signature from the officials of certification agency on the bag then again filling in gunnybag and stacking of these bags varying from 10 to 40 kg size after revalidation stamps on tags and signature of officials of certification agency on the gunny bag.	01–05 Kg 06–10 Kg 11–20 Kg 21–40 Kg		
7	<u>Loading and unloading of stakes for different purpose :-</u> loading of seed in farm truck or trolley and unloading of it any said warehouse of farm and unloading and staking work .	20–50 Kg		
8	<u>Seed Treatment:</u> A; Seed treatment by hand. B: Seed treatment by machine	Per Qtl. Per Qtl.		
9	<u>Bulk packing work :-</u> It includes loading of seed bags into a truck or trolley and after that their transportation to place of packing and then after filling sewing tagging again loading of in trolley and stacking of packed seed at said warehouse	20–50 Kg		
10	<u>Separately stamping on packed seed</u> it includes taking out all small packing of bag/polypouches from gunny bags and applying of revalidation stamps on every bag/pouch tag and label	Per Quintal		
11	<u>Hand Picking</u> of graded seed as per requirement	Per Quintal		
12	<u>Making of small packet of pesticides of various size 06 to 80 gms:-</u> it includes filling of pesticides in small poly pouches and sealing bind them with thread	Per packet		

Signature-----
Contractor's Name-----
Father's Name -----
Address-----
District-----

Mob. No.-----

E. Mail -----